पोश (POSH) पर संवेदीकरण /जागरूकता कार्यशाला -2024

भा. कृ. अनु. प. - केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल की महिला प्रकोष्ठ ने "कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह-2024" के अवसर पर आज (09 Dec- 2024) को 01 दिवसिय संवेदीकरण/जागरूकता कार्यशाला का सफल आयोजन किया। संस्थान महिला प्रकोष्ट की अध्यक्षा डॉ. नीता खांडेकर ने बताया की यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, भारत सरकार ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम), निषेध और निवारणअधिनियम (, 2013 बनाया है । इसे POSH एक्ट के नाम से भी जाना जाता है । उन्होंने बताया की कैसे किसी भी चीज की रोकथाम उसके निवारण से बेहतर है। संस्थान द्वारा सभी कर्मचारी को कर्मोयोगि भारत वेबसाइट पर आयोजित "कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम" (Prevention of Sexual Harassment of Women at Workplace) पर प्रशिक्षण लेने के लिये प्रेरित किया जिसमे ज्यादा से ज्यादा लोगो ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।

इस अवसर पर एल. सी. सी. सदस्य, एवं एडवोकट भावना त्रिपाठी ने पोश (POSH) के बारे में विस्तार से जानकारी दी । उन्होंने यौन उत्पीडन की परिभाषा एवं इसके अधिकारो की विस्तृत जानकारी दी तथा कार्यस्थल को सभी के लिए सुरक्षित करने पर जोर दिया ।

कार्यशाला के अध्यक्ष एवं परियोजना समन्वयक डॉ. एस. पी. सिंह, ने अपने अध्यक्षीय उद्बोदन में बताया की कार्यस्थल पर एक दूसरे का सम्मान करने से कार्य के लिए सुरक्षित वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में सभी वर्गों के 100 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी, और विद्याथियो ने भाग लिया। कार्यक्रम का सूत्र संचालन वैज्ञानिक डॉ. हर्षा वाकुड़कर, ने किया एवं आशीष साहू, सहायक प्रशासनिक अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया ।